तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/09/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 5 माह का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण संख्या 04 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा शेष विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण संख्या 01 से 3 व 5 से 16 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगण संख्या 01 से 3 व 5 से 16 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओ पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्रार्थीगणों एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीगणों को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। जबकि विप्रार्थी संख्या 04 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत की पक्की नेखमबंदी के साथ साथ विप्रार्थी संख्या 04 के खेत की भी नेखमबंदी की जाए। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने व पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन करने के बाद पाया की विप्रार्थी 04 के द्वारा कोई किसी प्रकार का नेखमबंदी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए विप्रार्थी 04 के खेत की नेखमबंदी की जानी संभव नहीं है तथा ही प्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता को निदेर्शित किया गया कि वो अपने खेत की नेखमबंदी करवाने हेतु अलग से नेखमबंदी आवेदन प्रस्तुत करें। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2023 / 1201 दिनांक : 26/9/23

प्रार्थी बनाम **विप्रार्थीगण**

1. पुरखाराम पुत्र रावताराम वगैरा 3 जाति जाट, निवासी हेमोणियो का तला बाटाडु तहसील बायतु

1. खेमाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 17 जाति जाट, निवासी हेमोणियो का तला तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 220 / 2023

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा — हेमोणियो का तला, पटवार मण्डल — बाटाडु तहसील —बायतु जिला— बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1404, 1526 रकबा क्रमशः 0.4288, 0.9708 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/— जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 26/9/23

क्रमांक : वाद / 2023 / 1202-1206

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पुरखाराम पुत्र रावताराम वगैरा 3,
4. विप्रार्थी श्री खेमाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 17
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु